समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 19 August 2026

महाराष्ट्र मे त्रिभाषा नीति पर जनता से सुझाव लेने की प्रक्रिया शुरू, 5 दिसंबर तक आमंत्रण

Publisher

Published on 18 Sep 2025

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में लागू होने वाली **त्रिभाषा नीति** (Trilingual Policy) के मसौदे पर जनता से सुझाव लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नीति के क्रियान्वयन से संबंधित सभी पहलुओं पर आम नागरिक और विशेषज्ञ अपनी राय दे सकें।

त्रिभाषा नीति क्या है ?

त्रिभाषा नीति का उद्देश्य है कि महाराष्ट्र में **तीन भाषाओं — मराठी, हिंदी और अंग्रेज़ी** — को स्कूलों और सरकारी संस्थाओं में सिखाया और बढ़ावा दिया जाए।

- **मराठी** राज्य की मातृभाषा होने के नाते प्राथमिक भाषा के रूप में पढ़ाई जाएगी।
- **हिंदी** राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाई जाएगी।
- **अंग्रेज़ी** आधुनिक शिक्षा और वैश्विक संचार के लिए महत्व रखती है।

इस नीति के तहत स्कूलों में पाठ्यक्रम का ढांचा तैयार किया जाएगा और शिक्षक प्रशिक्षण पर भी जोर दिया जाएगा।

जनता से सुझाव लेने की प्रक्रिया

महाराष्ट्र सरकार ने **एक समर्पित वेबसाइट** लॉन्च की है, जिसमें आम नागरिक, शिक्षक, विशेषज्ञ और छात्र अपनी राय साझा कर सकते हैं।

1. **प्रश्नावली जारी**

समिति ने त्रिभाषा नीति से संबंधित एक प्रश्नावली भी जारी की है, जिसमें नीति के अलग-अलग पहलुओं पर राय मांगी गई है।

2. **सुझाव देने की अंतिम तिथि**
   सभी सुझाव **5 दिसंबर 2025** तक प्राप्त किए जाएंगे। इसके बाद समिति द्वारा इन सुझावों का विश्लेषण कर नीति के अंतिम मसौदे को तैयार किया जाएगा।
3. **सार्वजनिक भागीदारी**
   सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि नीति का मसौदा **सार्वजनिक और पारदर्शी** तरीके से तैयार किया जाए। विशेषज्ञों की राय के साथ-साथ आम जनता की प्रतिक्रियाएँ भी इसमें शामिल की जाएंगी।

विशेषज्ञों और शिक्षकों की भूमिका

विशेषज्ञ और शिक्षक इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाएंगे।

- शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ यह सुझाव देंगे कि नीति के क्रियान्वयन में क्या चुनौतियाँ आ सकती हैं।
- शिक्षक अपनी अनुभवजन्य राय देंगे कि छात्रों पर त्रिभाषा शिक्षा का क्या असर होगा।
- भाषाविद और शिक्षा अनुसंधानकर्ता भाषा सीखने की प्रक्रिया में सुधार के लिए सुझाव देंगे।

इस प्रक्रिया से नीति को अधिक **व्यावहारिक, प्रभावी और व्यवहारिक रूप से लागू करने योग्य** बनाने की कोशिश की जा रही है।

जनता की भागीदारी का महत्व

महाराष्ट्र सरकार का मानना है कि नीति केवल शासन द्वारा बनाई नहीं जानी चाहिए, बल्कि **जनता की राय और अपेक्षाओं** को ध्यान में रखते हुए ही इसे अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

- आम नागरिक स्कूलों और भाषा नीति से सीधे जुड़े हैं।
- माता-पिता और छात्र इस नीति के प्रत्यक्ष लाभ और चुनौतियों को सबसे पहले महसूस करते हैं।
- इसके चलते, जनता के सुझाव नीति को और अधिक **समावेशी और व्यवहारिक** बनाएंगे।

संभावित बदलाव और चर्चा

त्रिभाषा नीति पर चर्चा लंबे समय से चल रही है।

- कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि **मराठी पर जोर** देने से स्थानीय संस्कृति और भाषा की रक्षा होगी।
- वहीं, अंग्रेज़ी और हिंदी की शिक्षा छात्रों के लिए **वैश्विक अवसरों** को बढ़ा सकती है।
- नीति के मसौदे में संभावित बदलाव शामिल हैं, जैसे कि **कक्षा 1 से कक्षा 12 तक त्रिभाषा शिक्षा**, पाठ्यक्रम का ढांचा और शिक्षक प्रशिक्षण।

इसलिए, जनता और विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

राज्य सरकार की प्रतिक्रिया

शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है कि **सभी हितधारकों की राय शामिल की जाए।**

> "त्रिभाषा नीति केवल कागज़ों पर नहीं रहेगी। हमें सुनिश्चित करना है कि यह नीति छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए

व्यावहारिक और लाभकारी हो।”

सरकार ने यह भी कहा कि नीति का मसौदा अंतिम रूप देने से पहले सभी सुझावों का गंभीर विश्लेषण किया जाएगा।

महाराष्ट्र में त्रिभाषा नीति पर जनता से सुझाव लेने की प्रक्रिया एक **पारदर्शी और समावेशी पहल** है।

- जनता की भागीदारी से नीति अधिक प्रभावी, व्यवहारिक और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी साबित हो सकती है।
- सुझावों का विश्लेषण करके नीति के अंतिम मसौदे को तैयार किया जाएगा।
- 5 दिसंबर तक आने वाले सुझाव इस प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा होंगे।

इस कदम से यह स्पष्ट होता है कि महाराष्ट्र सरकार **जनता और विशेषज्ञों की राय को प्राथमिकता** देती है और शिक्षा नीति को अधिक लोकतांत्रिक और सामूहिक बनाने की दिशा में काम कर रही है।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.